



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2018/भाद्र 2, 1940

No. 323]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2018/BHADRA 2, 1940

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

प्रस्तावना

सं. एल-1/220/2017/केविआ.—केन्द्रीय आयोग को विद्युत के अन्तरराज्यिक पारेषण को विनियमित करने और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उपधारा (1) (ग) और धारा 79 की उपधारा (1) (घ) के अधीन अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली के टैरिफ के अवधारण का कार्य सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 38(2)(ख) के अधीन केन्द्रीय पारेषण कंपनी को राज्य पारेषण कंपनियों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, उत्पादन कंपनियों, प्रादेशिक विद्युत समितियों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, अनुज्ञप्तिधारियों, आदि के साथ अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना एवं समन्वय का कार्य सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 38(2)(ग) के अधीन केन्द्रीय पारेषण कंपनी (सीटीयू) को उत्पादन केन्द्रों से भार केन्द्रों को विद्युत के सुचारू प्रवाह के लिए अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों के कुशल, समन्वित और मितव्ययी प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 38(2)(घ) के अधीन, केन्द्रीय पारेषण कंपनी (सीटीयू) से किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनियों या किसी ग्राहक द्वारा प्रयोग के लिए इसकी पारेषण प्रणाली को गैर भेदभावमूलक निर्बाध पहुंच उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणालियों में किए गए निवेश अंततोगत्वा टैरिफ के माध्यम से और केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित शेयरिंग प्रणाली के अनुसार वसूल किए जाते हैं। अतः, अधिकतम रीति से अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली और संबद्ध अंतःराज्यिक पारेषण प्रणालियों के विकास के लिए योजना हेतु पारदर्शी, समन्वित परामर्श क्रियाविधि की आवश्यकता है। इन विनियमों का प्राथमिक उद्देश्य सरल विनियामक वातावरण का सृजन करना है ताकि केन्द्रीय पारेषण कंपनी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक पारदर्शी क्रियाविधि, सुविज्ञ और समावेशी परामर्श के माध्यम से कुशल, विभवसनीय एवं मितव्ययी अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली और संबद्ध अंतःराज्यिक प्रणालियों की योजना बना सके और इसे विद्युत अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन तैयार नीतियों के अनुसार विकसित किया जा सके।

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उपधारा 1 के खंड (ग) और (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व प्रकाशन के बाद, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा मितव्ययी और दक्ष अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली की योजना, समन्वय और विकास तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2018 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. विनियम के उद्देश्य :** इस विनियम के उद्देश्य:

(1) उत्पादन केन्द्रों से भार केन्द्रों को विद्युत के सुचारु प्रवाह के लिए अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली के दक्ष, समन्वित, विभवसनीय और मितव्ययी प्रणाली की योजना और विकास के लिए अपनाए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करना।

(2) योजना प्रक्रिया में स्टेकहोल्डरों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करना और स्टेकहोल्डर परामर्श एवं सहभागिता के लिए प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करना।

(3) योजना प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करना।

(4) उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम के अनुसार विभिन्न संगठनों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करना।

**3. विनियम की प्रयोज्यता की परिधि और विस्तार :** (1) ये विनियम केन्द्रीय पारेषण कंपनी, राज्य पारेषण कंपनियों, उत्पादन कंपनियों, जिसमें आईएसटीएस से संबद्ध या असंबद्ध होने के लिए आशयित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी हैं, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, प्रादेशिक विद्युत समितियों, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के योजना एवं विकास में अंतर्ग्रस्त अधिनियम के अधीन अन्य मान्यता प्राप्त ईकाई के लिए लागू होंगे।

(2) ये विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण कंपनी विनियम के लिए अंतरराज्यिक पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2010 और अधिनियम की धारा 61 के अधीन, समय-समय पर, केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी टैरिफ विनियमों के अतिरिक्त होंगे।

**4. परिभाषा और निर्वचन :** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जो इनमें परिभाषित नहीं हैं; किंतु जो अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित हैं; का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या आयोग के अन्य विनियमों के अधीन समनुदेशित है।

**5. विभिन्न संस्थाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व :** योजना के प्रयोजन के लिए विभिन्न संस्थाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

(1) केन्द्रीय पारेषण कंपनी अंतरराज्यिक पारेषण प्रणालियों की योजना बनाएगी और ऐसा करते समय पारेषण प्रणालियों के विकास के लिए प्रणाली अध्ययन करने के लिए और आधार मामले की तैयारी के लिए उत्तरदायी होगी। यह योजना प्रक्रिया में शामिल सीईए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनियों, एसटीयू, आरएलडीसी और एसएलडीसी जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करेगी।

(2) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र समर्थित विभलेषण और ब्योरों सहित केन्द्रीय पारेषण कंपनी को आवधिक प्रचलनात्मक सांख्यिकी और फीडबैक उपलब्ध करवाएंगे जिसमें अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली की योजना प्रक्रिया पर भार होगा।

(3) वे उत्पादन कंपनियां, जो अंतरराज्यिक पारेषण नेटवर्क से संबद्ध हैं या संबद्ध होने का आशय रखती हैं, विस्तृत प्रक्रिया में केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार तकनीकी डाटा उपलब्ध करवाएंगे।

(4) आईएसटीएस से संबद्ध या संबद्ध होने के लिए आशयित उत्पादन केन्द्र, समय-समय पर, सीटीयू को उनकी परियोजनाओं की प्रारिथिति देगा जो विस्तृत प्रक्रिया में समय-समय पर विनिर्दिष्ट हों।

(5) प्रादेशिक विद्युत समिति (समितियां) क्षेत्र के एसटीयू/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से परामर्श से आधार मामले की तैयारी में केन्द्रीय पारेषण कंपनी को सहायता देगी। यह विचारविमर्श और संशोधन का सुझाव भी देगी जब प्रणाली अध्ययन सहित आधार मामला केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा शेयर किया जाता है। आरपीसी तिमाही आधार पर अंतरराज्यिक प्रणाली के मिलान के कार्यान्वयन को मॉनीटर करेगा।

**6. पारेषण प्रणाली का संवर्धन :** (1) केन्द्रीय पारेषण कंपनी, विस्तार या उन्नयन के रूप में आईएसटीएस की वृद्धि की योजना करते समय, निम्नलिखित पर विचार करेगी:

(क) नई एव उभरती हुई तकनीक;

(ख) लागत-लाभ विभलेषण उपलब्धि;

(ग) पुराने अकुशल उत्पादन केन्द्रों की संभावित शटिंगडाउन;

- (घ) नवीकरणीय क्षमता वृद्धि ;
- (ङ) नवीकरणीय क्रय बाध्यता;
- (च) ब्लैक स्टार्ट/स्टार्ट अप आपूर्ति के परिदृश्य से प्रणाली पर्याप्तता;
- (छ) रिएक्टिव विद्युत की अपेक्षा; और
- (ज) पावर मार्केट, क्रॉसबॉर्डर इंटरकनेक्शन या भारत सरकार की कोई अन्य नीतिगत पहल पर विचार करते हुए कुशल एवं मितव्ययी प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग।

(2) जब पारेषण प्रणाली की वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए की जाती है तो पारेषण प्रणाली परिदृश्य योजना, प्रत्येक राज्य की नवीकरणीय क्रयबाध्यता और पारंपरिक विद्युत के लिए नियोजित की जा रही प्रणाली में उपलब्ध मार्जिन के प्रयोग में अनुमानित नवीकरणीय क्षमता वृद्धियों पर विचार करते हुए नियोजित की जाएगी।

(3) केन्द्रीय पारेषण कंपनी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार या इसकी प्राधिकृत एजेंसियों और अग्रिम रूप से राज्य सरकारों के नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए उत्तरदायी विभागों के साथ अपनी क्षमता वृद्धि और संभावित नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में परामर्श कर सकती है।

**7. पारेषण योजना की प्रक्रिया:** केन्द्रीय पारेषण कंपनी निम्नानुसार वृद्धि एवं सुदृढीकरण के लिए पारेषण योजना का कार्यान्वयन करेगी:

- (1) केन्द्रीय पारेषण कंपनी साल में कम से कम दो बार पारेषण योजना का कार्य व समीक्षा करेगी।
- (2) विभवसनीयता और संकुलता के अनुसार, दीर्घकालिक पहुंच, विद्युत मांग और उत्पादन के प्रक्षेपण, नवीकरणीय ऊर्जा अभिवृद्धि सहित नीतिगत अनिवार्यता, राष्ट्रीय विद्युत योजना और एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी से प्रचालनगत फीडबैक के लिए प्रयोज्यता पर विचार करेगी।
- (3) सीईए द्वारा रखी गई राष्ट्रीय स्तर डाटा रजिस्ट्री के अनुसार उत्पादन के ब्योरों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों या राज्य पारेषण कंपनियों से (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ समन्वय करते हुए, एसटीयू द्वारा अनुमानित मांग प्रक्षेपण) या प्राधिकरण से मांग के ब्योरे, उक्त कार्य के लिए वांछित वॉल्टेज स्तर तक निर्माणाधीन अंतरराज्यिक और अंतःराज्यिक पारेषण नेटवर्क पर विचार करते हुए, प्रत्येक संभावित परिदृश्य (विकल्प) के लिए आधार मामला तैयार करना।
- (4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी और एसटीयू अपेक्षित इनपुट उपलब्ध करवाएंगे। यदि अपेक्षित इनपुट एसटीयू/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाता तो सीटीयू अपेक्षित इनपुट के लिए आरपीसी से संपर्क करेगा।
- (5) प्रणाली अध्ययन विभिन्न संभावित परिदृश्यों के लिए आयोजित होंगे जिसमें कम, संतुलित और उच्च नवीकरणीय क्षमता वृद्धि पर विचार करते हुए, विभिन्न मौसमों के लिए पीक, ऑफ पीक और पीक/आफ पीक घण्टों से भिन्न के दौरान उत्पादन और भार परिदृश्य शामिल हैं, प्रत्येक राज्य के आयात/निर्यात अपेक्षाओं की भिन्नता और आर्थिक प्रेषण के अधीन विभिन्न उत्पादन केन्द्रों के अनुसूचीकरण होगा, जिसके लिए मौजूदा और आगामी उत्पादन केन्द्र की परिवर्ती लागत फैक्टर की जाएगी।
- (6) यदि आईएसटीएस से कुल अंतःक्षेपण की अपेक्षा आईएसटीएस से निकासी अपेक्षा से अधिक होती है तो आईएसटीएस की योजना विद्युत के फर्म टाईअप को फैक्टर करते हुए, विभिन्न परिदृश्य के लिए की जाएगी।
- (7) पारेषण प्रणाली की योजना करते समय, मौजूदा आस्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए प्रतिकर पुनःकंडक्टरिंग, इत्यादि के उपयोग के माध्यम से लाइन लोडिंग की वृद्धि जैसे नई पारेषण लाइनों के निर्माण के स्थान पर मौजूदा आईएसटीएस के उन्नयन के विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- (8) उत्पादन केन्द्रों और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रणालियों के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर, संभावित सीमा तक पारेषण प्रणाली के मध्यकालिक शुद्धि (i) योजनाबद्ध पारेषण प्रणाली का पुनःसंरूपण; (ii) पारेषण तत्वों की फेसिंग, और (iii) कुछ पारेषण तत्वों के विलंब/आस्थगन के अनुसार किया जाना चाहिए।
- (9) केन्द्रीय पारेषण कंपनी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रणाली की अनुसूची को आरंभ करने में परिवर्तन की दशा में, लक्षित क्षेत्र के स्थानांतरण, उत्पादन यूनिटों के फेज आउट, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के प्रचालनगत फीडबैक और दीर्घकालिक पहुंच के निकास में अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली की भी समीक्षा करेगी।
- (10) पारेषण स्कीम को अंतिम रूप देने से पूर्व, सीटीयू सभी संभावित परिदृश्यों के ब्योरों को प्रकाशित करेगा और अपनी वेबसाइट में सुझाई गई पारेषण योजनाओं को प्रकाशित करेगा और स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां मांगेगा। सीटीयू स्टेकहोल्डरों से प्राप्त अनुक्रियाओं पर विचार करने के बाद, पारेषण योजना को अंतिम रूप देगा।
- (11) एसटीयू द्वारा संबद्ध अंतःराज्यिक नेटवर्क योजना अंतरराज्यिक नेटवर्क की योजना से समेकित की जाएगी। पारेषण योजना को अंतिम रूप देने के बाद, उप विनियम (2) और रेखांकित पूर्वानुमानों सहित उक्त उपधारा उप विनियम (3) के अनुसार किए गए प्रणाली अध्ययन के अनुसार तैयार किया गया आधार मामला संबंधित प्रादेशिक विद्युत समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा; आरपीसी को इस प्रकार के प्रस्ताव नीचे दिए गए पैरा 8(3) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ होंगे।

(12) सीटीयू से प्रस्ताव की प्राप्ति पर आरपीसी विचार करेगी और इस प्रकार के प्रस्ताव की प्राप्ति के दो महीने के अंदर सीटीयू को अपनी सिफारिशें भेजेगी।

(13) यदि आरपीसी इस प्रस्ताव से पूर्णतया या आंशिक रूप से सहमत नहीं है और सीटीयू का यह विचार है कि योजना ग़्रिड सुरक्षा/स्थिरता के हित में है या नेटवर्क की गैर-संकुलता या आकस्मिकता को पराभूत करने के लिए है तो इसे लिखित में रिकॉर्ड करना होगा और केन्द्रीय आयोग के विनियामक अनुमोदन की मांग करना होगा। तथापि, विनियामक अनुमोदन की मांग करने से पूर्व सीटीयू आरपीसी से संबंधित आरपीसी की सिफारिशों से सहमत न होने के लिए कारणों को शेर करेगा।

(14) यदि पारेषण प्रणाली राष्ट्रीय हित या सुरक्षा/रणनीतिक महत्व में अपेक्षित है और भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निधि पोषित है तो सीटीयू आयोग के विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने पर आरपीसी में उस पर विचार विमर्श किए बिना सीधे इस प्रकार की प्रणाली/स्कीम को शामिल कर सकते हैं।

**8. स्टेकहोल्डर परामर्श और पारदर्शिता :** (1) सीटीयू उत्पादक, एसटीयू, आरएलडीसी, एसएलडीसी और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों जैसे स्टेकहोल्डरों से परामर्श करेगा और आईएसटीएस के संवर्धन या सुदृढीकरण की योजना के सभी चरणों में पारदर्शिता बनाए रखेगा :

परन्तु यह कि उत्पादक/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से परामर्श से संबंधित उत्पादक/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विशेष रूप से पदभिहित नाम निर्देशिती के साथ परामर्श अभिप्रेत है। यदि उत्पादक/वितरण अनुज्ञप्तिधारी 45 दिनों के अंदर उत्तर नहीं देता तो यह माना जाएगा कि उस उत्पादक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ परामर्श पूर्ण है और सीटीयू आगे कार्यवाई करेगा।

(2) केन्द्रीय पारेषण कंपनी सूचना की शेरिंग, पूर्वानुमानों को रेखांकित करने, पद्धति, योजना मानदण्ड और नियमित रूप से प्रणाली अध्ययन के माध्यम से अधिनियम की धारा 38 और 39 के अधीन पारेषण योजना को कार्यान्वित करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

(3) केन्द्रीय पारेषण कंपनी अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित को प्रकाशित करेगी और छमाही आधार पर उसे अद्यतन करेगी।

- (क) पूर्ण योजना के ब्योरे सहित योजना के लिए विस्तृत औचित्य;
- (ख) प्रणाली अध्ययन के परिणाम;
- (ग) प्रणाली अध्ययन में पूर्वानुमान और स्टेकहोल्डरों से प्राप्त निविष्टियां;
- (घ) स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां/सुझाव तथा इसका उपचार;
- (ङ) संभावित पूंजी लागत और अनुमानित मासिक टैरिफ; और
- (च) अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम प्रणाली की प्रास्थिति।

(4) केन्द्रीय पारेषण कंपनी ऐसी प्रक्रिया बना सकेगा तथा ऐसे फार्मों को विहित कर सकेगा जो अधिनियम की धारा 38(2)(ख) के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना एवं समन्वय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों तथा जो आयोग के इन विनियमों या किसी अन्य विनियमों के साथ असंगत नहीं है।

**9. सीटीयू और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियामक फाइलिंग:**

**9.1 सीटीयू द्वारा विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदन :** (1) विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन फाइल करते समय सीटीयू आयोग के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेगा:

- (क) संबंधित आरपीसी द्वारा योजना पर सिफारिशें;
- (ख) सीटीयू द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन के परिणाम;
- (ग) प्रणाली अध्ययन में विचार किए गए पूर्वानुमान और निविष्टियां;
- (घ) अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम पारेषण प्रणाली की प्रास्थिति; और
- (ङ) स्टेकहोल्डरों की टिप्पणी/सुझावों और इसके उपचार सहित स्टेकहोल्डरों से परामर्श की प्रास्थिति।

**9.2 पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन :** (1) आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए इस आवेदन पर विचार करते समय, सीटीयू अपनी सिफारिशें करते समय, निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा।

- (क) संबंधित आरपीसी द्वारा योजना पर सिफारिशें;
- (ख) सीटीयू द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन के परिणाम;
- (ग) प्रणाली अध्ययन में विचार किए गए पूर्वानुमान और निविष्टियां;
- (घ) अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम पारेषण प्रणाली की प्रास्थिति; और
- (ङ) स्टेकहोल्डरों की टिप्पणी/सुझावों और इसके उपचार सहित स्टेकहोल्डरों से परामर्श की स्थिति।

**9.3 टैरिफ प्रदान करने के लिए आवेदन :** (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, प्रचलित टैरिफ के सुसंगत विनियमों उपबंधों के अनुसार टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन सहित निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए सीटीयू के प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करेगा:

- (क) यथास्थिति, अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार, स्कीम कार्यान्वित की गई तथा विनियामक अनुमोदन प्राप्त किया गया है या दोनों;
- (ख) किए गए प्रणाली अध्ययन के अनुसार वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्कीम पूरी कर ली गई या किए जाने की संभावना है; और
- (ग) अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम प्रणालियों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति के संबंध में सूचना;

**10. प्रकीर्ण :** (1) केन्द्रीय पारेषण कंपनी अंतिम स्वीकृत नेटवर्क संरूपण के सभी संगत ब्योरों सहित आधार मामला फाइलें और प्रणाली अध्ययन फाइलों की अभिरक्षक होगी।

(2) सीटीयू, तिमाही आधार पर प्रस्तावित योजनाओं के अनुमोदन की स्थिति और सतत योजनाओं की स्थिति आयोग को प्रस्तुत करेगी।

**11. पारेषण योजना में मानव शक्ति नियोजन :** सीटीयू और एसटीयू पारेषण योजना कार्य के लिए समुचित और पर्याप्त मानव शक्ति सुनिश्चित करेगा। सीटीयू, एसटीयू के परामर्श से एसटीयू और सीटीयू की योजना में शामिल कार्मिक के प्रमाणीकरण के लिए एक स्कीम तैयार करेगा और इन विनियमों को जारी करने के 6 महीने के अंदर अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत करेगा।

**12. शिथिल करने की शक्ति :** आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध को स्वप्रेरणा से या विशेष व्यक्तियों के लिए लागू विनियम के प्रचालन से उद्भूत कठिनाई को दूर करने के लिए प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष किए गए आवेदन पर शिथिल कर सकेगा।

**13. कठिनाई को दूर करने की शक्ति :** यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, अपने प्रस्ताव या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा दाखिल आवेदन पर, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध जो अधिनियम के उपबंधों या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबंधों से असंगत न हो, बना सकेगा जिन्हें इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभावी करने में कठिनाई को दूर करना आवश्यक हो।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./199/18]

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

New Delhi, the 23rd July, 2018

### PREAMBLE

**No. L-1/220/2017-CERC.**—The Central Electricity Regulatory Commission has been entrusted with the functions under Section 79(1)(c) and Section 79(1)(d) of the Electricity Act, 2003 to regulate inter-State transmission of electricity and to determine the tariff of inter-State transmission system. Under Section 38(2)(b) of the Act, the Central Transmission Utility (CTU) has been entrusted with the functions of planning and coordination relating to inter-State transmission system with State Transmission Utilities, Central Government, State Governments, generating companies, Regional Power Committees, Central Electricity Authority (Authority), licensees etc. Under Section 38(2)(c) of the Act, CTU has been vested with the functions to ensure development of an efficient, co-ordinated and economical system of inter-State transmission lines for smooth flow of electricity from the generating stations to load centres. Under Section 38(2)(d) of the Act, CTU is required to provide non-discriminatory open access to its transmission system for use by any licensee or generating companies or any consumer. The investments made in inter-State transmission systems are ultimately recovered through the tariff and as per sharing mechanism determined by the Central Commission. Therefore, there is a need to have a transparent, co-ordinated consultative process for planning for the development of inter-State transmission system and associated intra-State transmission systems in an optimal manner. The primary aim of these regulations is to create a facilitative regulatory environment to enable CTU to plan an efficient, reliable and economical inter-State Transmission System and

associated intra-State Systems through a transparent process of extensive, informed and inclusive consultation with stakeholders and get it developed in terms of the Electricity Act and Policies formulated under the Act.

## NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under clause (c) and (d) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

**1. Short title and commencement.**—(1) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Planning, Coordination and Development of Economic and Efficient Inter-State Transmission System by Central Transmission Utility and other related matters) Regulations, 2018.

(2) These regulations shall come into force from date of its publication in official gazette.

**2. Objectives of the Regulations.** - The objectives of this Regulation are to:

- (1) lay down the broad principles, procedures and processes to be followed for planning and development of an efficient, co-ordinated, reliable and economical system of inter-State transmission system (ISTS) for smooth flow of electricity from generating stations to the load centres;
- (2) ensure wider participation of stakeholders in the planning process and specify the procedures for stakeholders consultation and participation;
- (3) specify procedures to bring about transparency in the planning process; and
- (4) demarcate the roles and responsibilities of various organisations in line with the Act for meeting above objectives;

**3. Scope and extent of applications of Regulations.** - (1) These regulations shall be applicable to Central Transmission Utility (CTU), State Transmission Utilities (STUs), generating companies including companies having captive generating plants connected to or intending to connect with ISTS, transmission licensees, distribution licensees, Regional Power Committees (RPCs), National Load Despatch Centre (NLDC), Regional Load Despatch Centres (RLDCs) and State Load Despatch Centres (SLDCs) and any other recognized entity under the Act involved in planning and development of inter-state transmission system.

(2) These regulations shall be in addition to the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission License and other related matters Regulations), 2009; Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Regulatory Approval for execution of Inter-State Transmission Scheme to Central Transmission Utility Regulations), 2010; and the Tariff Regulations issued by the Central Commission from time to time under section 61 of the Act.

**4. Definitions and Interpretations.** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

(2) The words and expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or any other Regulation of the Commission shall have the meaning assigned to them under the Act or other Regulations of the Commission.

**5. Roles and Responsibilities of various Organizations.** - The roles and responsibilities of various organizations for the purpose of planning as under:

- (1) The Central Transmission Utility (CTU) shall plan the inter-state transmission systems and while doing so, shall be responsible for preparation of base case and to undertake system studies for development of the transmission system. It shall also ensure proper coordination with various agencies such as CEA, transmission licensees, distribution licensees, Generating Companies, STUs, RLDCs and SLDCs involved in the planning process.

(2) The National Load Dispatch Centre and Regional Load Dispatch Centre(s) shall provide periodic operational statistics and feedback to Central Transmission Utility along with supporting analysis and details which have a bearing on the planning process of inter-state transmission system.

(3) The generating companies who are connected or intend to connect to inter-state transmission network shall provide the technical data as per format specified by the Central Transmission Utility in the detailed procedure.

(4) Generating Stations connected to or intending to connect to ISTS shall furnish status of their projects to CTU from time to time as specified in detailed procedure.

(5) Regional power Committee(s) shall assist the Central Transmission Utility in preparation of base case in consultation with STUs/ Distribution licensees of the region. It shall also discuss and suggest modifications when base case along with system studies is shared by the Central Transmission Utility. RPCs shall monitor implementation of matching intra-state system on quarterly basis.

**6. Augmentation of the transmission system:** (1) The Central Transmission Utility shall, while planning to augment ISTS in the form of expansion or upgradation shall consider the following:

- (a) New and emerging technologies;
- (b) Cost-benefit analysis outcome;
- (c) Likely shutting down of old/ inefficient generating stations;
- (d) Renewable capacity addition;
- (e) Renewable Purchase Obligation;
- (f) System adequacy from the perspective of black start/ start-up supply;
- (g) Requirement of reactive power;
- (h) Optimal utilization of resources to ensure an efficient and economical system with due consideration to power market, cross border interconnection or any other policy initiatives of Government of India.

(2) When the augmentation of transmission system is undertaken for renewable energy sources, transmission system shall be planned by considering estimated renewable capacity additions in the Perspective Plan; Renewable Purchase Obligation (RPO) of each State; and utilizing the available margins in the system being planned for conventional power

(3) The Central Transmission Utility may have consultations, with regard to renewable energy potential and its capacity addition, with Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India or its authorized agencies and Departments responsible for renewable energy development of the State Governments, in advance.

**7. Process of Transmission Planning:** The Central Transmission utility shall carry out transmission planning for augmentation and strengthening as under: -

(1) The Central Transmission Utility shall review and carry out transmission planning exercise at least twice a year,

(2) Consider applications for long term access, projections of electricity demand and generation, policy imperatives including renewable energy addition, national electricity plan and operational feedback from NLDC/ RLDCs/ SLDCs in terms of reliability and congestions;

(3) Prepare base case for each probabilistic scenario (options) by considering details of generation as per national level data registry maintained by CEA, details of demand from distribution licensees or State Transmission Utilities (demand projections estimated by STUs in coordination with distribution licensees) or Authority, existing and under-construction inter-State and intra-State transmission network up to desired

voltage level for the above exercise;

(4) Distribution licensees and STUs shall provide the required inputs. In case, the required input is not made available by STU / distribution licensee, CTU shall approach RPC for required input.

(5) System studies shall be conducted for various probabilistic scenarios which includes generation and load scenarios during peak, off-peak and other than peak/ off-peak hours for different seasons considering low, moderate and high renewable capacity addition, varying import/export requirements of each state and scheduling of various generating stations under economic dispatch for which variable cost of existing and upcoming generating stations shall be factored in.

(6) In case requirement of total Injection to ISTS happens to be more than withdrawal requirement from ISTS, planning of ISTS shall be done for various scenarios of dispatch factoring known firm tie-ups of power.

(7) While planning the transmission system, options of upgrading the existing ISTS in place of building new transmission lines such as increasing line loading through use of compensation, reconductoring, etc., for optimally utilizing the existing assets, should also be considered.

(8) Based on progress of implementation of generating stations and upstream/ downstream systems, mid-course correction for transmission system to the extent possible should be made in terms of (i) Re-configuration of planned transmission system, (ii) Phasing of transmission elements and (iii) Delay/ Deferment of some of the transmission elements;

(9) The Central Transmission Utility shall also review the inter-State transmission system in the event of change in commissioning schedule of upstream and downstream system, shift of target region, phase out of generation units, operational feedback of Regional Load Dispatch Centres and exit from long term access.

(10) Before finalizing the transmission scheme, CTU shall publish the details of all probabilistic scenarios and suggested transmission schemes on its website and seek stakeholder's comments. CTU shall finalise the transmission scheme after considering the responses received from stakeholders.

(11) Associated Intra state network planning by STU shall be integrated with planning of inter-state network. After finalization of the transmission scheme, the base case prepared as per sub-Regulation (2) and system studies carried out as per sub-Regulation (3) above along with underlying assumptions, methodology and planning criteria shall be placed before the concerned Regional Power Committee(s); All such proposals to RPC(s) shall be accompanied with documents mentioned at Regulation 8(3) below.

(12) RPC(s), on receipt of proposal from CTU, shall consider and convey its recommendations to CTU within 2 months of receipt of such proposal.

(13) In case RPC doesn't agree with the proposal either fully or partially and CTU is of the view that the scheme is in interest of grid security/ stability or decongesting the network or overcoming a contingency, it shall record this in writing and seek regulatory approval of the Central Commission. However, prior to seeking regulatory approval, CTU shall share the reasons for not agreeing with the recommendations of concerned RPC(s) with that RPC.

(14) In case a transmission system is required in national interest or is of security /strategic importance and is funded through grant by Government of India/ State Government, CTU may, incorporate such system/ scheme directly on seeking regulatory approval of the Commission.

## **8. Stakeholder Consultation and Transparency**

(1) CTU shall consult stakeholders such as generators, STUs, RLDCs, SLDCs and distribution licensees and maintain transparency at all stages of planning of augmentation or strengthening of ISTS.

Provided that consultations with generators/ distribution licensees shall mean consultations with the Chief Executive Officer of concerned generator/ distribution licensees or its specifically designated nominee. If a generator/ distribution licensee does not respond within 45 days, it shall be construed that consultation with that generator or distribution licensee is complete and CTU shall proceed further.



(2) The Central Transmission Utility shall ensure transparency while carrying out transmission planning under Section 38 and Section 39 of the Act through sharing of information, underlying assumptions, methodology, planning criteria and result of system study regularly.

(3) The Central Transmission Utility shall publish the following on its website and update the same on a half yearly basis:

- (a) Detailed justification for the scheme along with details of the complete scheme;
- (b) Results of System studies;
- (c) Assumptions made in system studies and inputs received from stakeholders;
- (d) Comments/ suggestions of stakeholders along with its treatment;
- (e) Likely capital costs and estimated monthly tariff; and
- (f) Status of upstream/ downstream system.

(4) CTU in discharge of its functions under Section 38(2)(b) of the Act may make such procedure and prescribe such forms as may be necessary for the purpose of planning and co-ordination relating to Inter-State Transmission System, which is not inconsistent with these regulations or any other regulations of the Commission.

## **9. Regulatory filings by CTU and Transmission Licensees:**

### **9.1 Application for Regulatory approval by CTU:**

(1) At the time of filing application before the Commission for grant of regulatory approval, the CTU shall submit the following:

- (a) Recommendations on the scheme by the concerned RPC(s);
- (b) Results of the system studies carried out by CTU;
- (c) Assumptions and Inputs considered in system studies;
- (d) Status of upstream/ downstream transmission system; and
- (e) Status of consultation with the stakeholders along with Comments/ suggestions of stakeholders and its treatment.

### **9.2 Application for Transmission License:**

(1) At the time of consideration of application by this Commission for grant of transmission license to a transmission licensee, the CTU while making its recommendations shall submit the following:

- (a) Recommendations of the scheme by the concerned RPC(s);
- (b) Results of the system studies carried out by CTU;
- (c) Assumptions and Inputs considered in system studies;
- (d) Status of upstream/ downstream transmission system; and
- (e) Status of consultation with the stakeholders along with Comments / suggestions of stakeholders and its treatment.

### **9.3 Application for Grant of tariff:**

(1) The transmission licensee shall submit a certificate of CTU specifying the following along with the application for determination of tariff in accordance with relevant provisions of tariff regulations in vogue:

- (a) The scheme is implemented as per the terms and conditions of the license and regulatory approval granted or both, as the case may be;

- (b) The scheme has achieved/likely to achieve its desired objectives as per system studies made; and
- (c) Information with respect to status of implementation of upstream/ downstream systems.

**10. Miscellaneous.** - (1) The Central Transmission Utility shall be the custodian of the base case files and system study files along with all relevant details of final accepted network configuration.

(2) CTU shall furnish to the Commission status of on-going schemes and status of approval of proposed schemes on quarterly basis.

**11. Manpower Deployment in Transmission Planning-** CTU and STU shall ensure proper and adequate manpower for conducting transmission planning exercise. CTU, in consultation with STUs shall prepare a scheme for certification of personnel involved in planning at CTU and STU and submit to the Commission for approval within 6 months of issue of this Regulation.

**12. Power to Relax.** - The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an affected person to remove the hardship arising out of the operation of Regulation, applicable to a class of persons.

**13. Power to Remove Difficulty.** - If any difficulty arises in giving effect to any provision of these regulations, the Commission may, on its own motion or on an application made before it by any affected person, by order, make such provision not inconsistent with the provisions of the Act or provisions of other regulations specified by the Commission, as may appear to be necessary for removing the difficulty in giving effect to the objectives of these regulations.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./199/18]